पत्र सं०- e.-gov./DBT-01/2018........965................................/

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,

सचिव(व्यय) ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक,

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि०, पटना ।

पटना, दिनांक..05/02/2020

विषयः- बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत शिक्षा ऋण के वितरण के संबंध में मार्गदर्शन ।

प्रसंगः- निगम का पत्रांक-1314 दिनांक-28.05.2019 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-4888 दिनांक-07.06.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निगम के प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में वित्त विभागीय मार्गदर्शन (यथा प्रासंगिक) के क्रम में संशोधित मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता को देखते हुए निम्नानुसार शिक्षा ऋण के वितरण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है :-

आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया है । किन्तु इस योजना के कियान्वयन में उत्पन्न अनुभवों के कारण बैंकों की भूमिका को सीमित करते हुए संशोधित **'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना'** प्रारंभ की गयी है । इस योजना के द्वारा उच्च शिक्षा में GER (Gross Enrollment Ratio) की वृद्धि के साथ-साथ युवाओं के रोजगार की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी ।

2. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सफल बनाने एवं विद्यार्थियों को ससमय ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैंकों की भूमिका को सीमित करते हुए वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० की स्थापना की गयी है । उक्त निगम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु मात्र एक एजेंसी अथवा समन्वयक (Facilitator) की भूमिका में है । बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० को कंपनी अधिनियम 2013 (18 of 2013) के अधीन सरकारी कंपनी के रूप में निबंधित किया गया है ।

3. इस योजना के तहत बिहार राज्य के निवासी, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्त्ती राज्यों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋण के लिए इच्छुक हों, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है । बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को राज्य सरकार द्वारा स्कीम के कियान्वयन हेतु राशि राज्य स्कीम के बजट शीर्ष 12-6202-01-190-0101-बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम में बजट उपबंध के विरूद्ध उपलब्ध करायी जाती है । निगम को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के कियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी वार्षिक राशि में व्यय के उपरांत अवशेष राशि अगले वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु वित्त विभाग की सहमति अपेक्षित होगी ।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार राशि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को उपलब्ध करायी जाती है । स्पष्ट है कि उपलब्ध करायी गयी यह राशि निगम को ऋण के रूप में नहीं अपितु आवेदक विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निगम के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है । विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी गयी इस ऋण राशि पर स्कीम में निर्धारित दर से सरल ब्याज (simple interest) अधिरोपित किया जाता है ।

5. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० के स्थापना के संधारणार्थ प्रशासनिक व्यय के रुप में अथवा निगम द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के अनुरुप एक निश्चित सेंटेज (Centage) की राशि वित्त विभाग द्वारा निगम को प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा ।

6. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० के माध्यम से ऋण राशि उपलब्ध कराने के निमित वित्त विभाग के द्वारा निगम को राशि उपलब्ध करायेगा । किन्तु वित्त विभाग द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधानित राशि को निगम के लिए ऋण के रुप में मान्य नहीं होगा, बल्कि यह वित्त विभाग से विद्यार्थियों के लिये ऋण होगा एवं उक्त ऋण राशि को वित्त विभाग के पक्ष में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० द्वारा किया जायेगा । वित्त विभाग द्वारा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० को उपलब्ध करायी गई राशि निगम के लिए किसी भी प्रकार का ऋण नहीं माना जाएगा ।

7. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० वित्त विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट/प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा और तदनुसार वित्त विभाग द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार निगम को राशि उपलब्ध करायेगा ।

8. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० द्वारा वित्त विभाग से प्राप्त उक्त राशि ऋण के रुप में संवितरण और/या पुनर्भुगतान पर अर्जित किसी भी ब्याज को निगम की आय के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि यह वित्त विभाग की राशि के रूप में माना जाएगा ।

9. वित्त विभाग से उक्त प्रयोजन हेतु स्कीम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धन राशि को अलग से निश्चित बैंक खाते में रखा जाएगा, जिसका प्रयोग केवल निगम के द्वारा कथित योजना के क्रियान्वयन हेतु अर्थात् विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण संवितरण हेतु किया जाएगा । किसी विशेष वित्तीय वर्ष के अंत में अव्यवहृत अथवा अवशेष राशि को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० द्वारा वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर शिक्षा ऋण हेतु उपयोग किया जा सकेगा । वित्त विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से अव्यवहृत अथवा अवशेष राशि को घटाकर कर निगम को उपलब्ध कराया जायेगा ।

10. इस योजना के तहत निगम के पास उपलब्ध अव्यवहृत अथवा अवशेष राशि वित्त विभाग के प्रति निगम की देयता होगी ।

11. निगम द्वारा विभाग से प्रावधानित राशि को निगम के खाते (Books) में दिखाया जायेगा एवं यह राशि विभाग के प्रति निगम की देयता (Liability) नहीं होगी बल्कि निगम द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत विद्यार्थियों को दिये गये शिक्षा ऋण की राशि की देयता (Liability) वित्त विभाग के प्रति निगम का न होकर केवल विद्यार्थियों की होगी ।

87

12. विद्यार्थियों से ऋण के पुनर्भुगतान/वापसी से प्राप्त राशि (ब्याज सहित) निगम का वित्त विभाग के प्रति देयता (Liability) तब तक होगी जब तक पुनर्भुगतान से प्राप्त राशि (ब्याज सहित) का फिर से उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में विभाग से सहमति मिलने के बाद ऋण के संवितरण पर नहीं हो जाता है ।

13. BSEFCL की कार्य एवं भूमिका निम्नवत् होगाः-

(a) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का क्रियान्वयन तथा स्कीम के कार्यान्वयन एजेंसी अथवा समन्वयक (Facilitator) के रूप में कार्य करना ।

(b) बिहार सरकार के द्वारा पात्रता प्राप्त विद्यार्थियों को इस योजना के तहत ऋण का संवितरण करना ।

(c) बिहार सरकार के behalf पर निर्धारित दर पर इस योजना के तहत विद्यार्थियों से ब्याज का आरोपण एवं संग्रहण करना ।

(d) बिहार सरकार के behalf पर ऋण का पुनर्भुगतान निश्चित शर्तों के अधीन विद्यार्थियों से प्राप्त करना ।

(e) कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका में प्रशासनिक व्यय के दायित्व का निर्वहन वित्त विभाग से प्राप्त राशि के द्वारा किया जाना । वित्त विभाग से निगम के द्वारा प्राप्त किया गया प्रशासनिक व्यय की राशि निगम की आय का एकमात्र साधन/श्रोत होगा ।

**14. उपरोक्त मार्गदर्शिका के आलोक में वित्त विभाग द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी पत्र/परिपत्र तथा वित्त विभागीय पत्रांक-4888 दिनांक 07.06.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा ।**

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक- e.-gov./DBT-01/2018........965........ पटना, दिनांक-...05/02/2020......

**प्रतिलिपि-** अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिर्जव बैंक, दक्षिण गॉधी मैदान, पटना/संयुक्त सचिव, प्रभारी सांस्थिक वित्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक-e.-gov./DBT-01/2018........965........ पटना, दिनांक-....05/02/2020..........

**प्रतिलिपि-** महालेखाकार (अंकेक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

N36-S-2020